



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082025-265719
CG-DL-E-26082025-265719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3799]
No. 3799]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2025/भाद्र 4, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2025/BHADRA 4, 1947

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2025

का.आ. 3904(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि, लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि खनिज तेल (कच्चा तेल), मोटर और विमानन स्पिरिट, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, ईंधन तेल, विविध प्रकार के हाइड्रोकार्बन तेल और उनके सम्मिश्रण, जिनके अंतर्गत कृत्रिम ईंधन, स्नेहक तेल और उसी प्रकार के कृत्रिम ईंधन, स्नेहक तेल इत्यादि भी हैं, के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुई सेवाओं को, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 26 के अधीन आती है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा होंगी;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त औद्योगिक उपक्रम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 993(ई), तारीख 27 फरवरी, 2025 द्वारा तारीख 28 फरवरी, 2025 से छह माह की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक हित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार छह मास की और अवधि के लिए किया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार की औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि लोक हित में विस्तार किया जाना अपेक्षित है, अधिसूचना संख्या का. आ. 993(ई), तारीख 27 फ़रवरी, 2025 में विनिर्दिष्ट अवधि को 28 अगस्त, 2025 से छह मास की और अवधि के लिए विस्तारित करती है, जिसके दौरान उक्त औद्योगिक उपक्रमों में लगी सेवाएं उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा होंगी।

[फा. सं. एस-11017/05/2024-आई.आर.(पी.एल.)]

अजय शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2025

S.O. 3904(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in manufacture or production of mineral oil (crude oil), motor and aviation spirit, diesel oil, kerosene oil, fuel oil, diverse hydrocarbon oils and their blends including synthetic fuels, lubricating oils and the like, which is covered under item 26 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS, the Central Government has declared the said industrial undertaking to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 28th February, 2025, vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 993(E), dated the 27th February, 2025;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service, status to the said industry for a further period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, being of the opinion that in the public interest requires extension, hereby extends the period specified in the notification number S.O. 993 (E), dated the 27th February, 2025 for a further period of six months from the 28th August, 2025 during which the services engaged in the said industrial undertakings to be a public utility service for the purposes of the said Act.

[F. No. S-11017/05/2024- IR (PL)]

AJOY SHARMA, Jt. Secy.